

## फॉर्म एल-32-शोधक सीमांत - केटो 3

(विनियमन 4 देखें)

बीमा विनियमन एवं (बीमांकन रिपोर्ट तथा सार) विनियमन, 2016.

## उपलब्ध शोधक सीमांत तथा शोधक अनुपात

31 मार्च, 2020

बीमाकर्ता का नाम:	भारतीय जीवन बीमा निगम	पंजीयन संख्या:	512	फॉर्म कोड:	015
वर्गीकरण:	भारत में व्यवसाय	वर्गीकरण कोड:	1		

मद	विवरण	समायोजित मान [रकम (₹ लाख में)]	
		31.03.2020	31.03.2019
01	पॉलिसीधारक फंड में उपलब्ध परिसंपत्ति : घटाव:	31,32,27,593	28,47,94,158
02	गणितीय संचिति	29,81,69,769	27,06,12,939
03	अन्य देयतायें	11,954	14,936
04	<b>पॉलिसीधारक फंड में आधिक्यता</b>	1,50,45,869	1,41,66,283
05	शेयरधारक फंड में उपलब्ध परिसंपत्ति : घटाव:	10,000	10,000
06	शेयरधारक फंड की अन्य देयतायें	0	0
07	<b>शेयरधारक फंड में आधिक्यता</b>	10,000	10,000
08	कुल उ.शो.सी. (04)+(07)	1,50,55,869	1,41,76,283
09	कुल अ.शो.सी.	97,40,262	88,57,358
10	<b>शोधक अनुपात (उ.शो.सी./अ.शो.सी.)</b>	1.55	1.60

प्रमाणीकरण:

मैं, \_\_\_\_\_, नियुक्त बीमांकक, प्रमाणित करता हूँ की उपरोक्त विवरण बीमा अधिनियम, 1938 के धारा 64Vए के अनुसार तैयार किया गया है, तथा इनमें उल्लेखित रकम, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, के अनुसार सत्य एवं सही है।

स्थान: \_\_\_\_\_  
दिनांक: \_\_\_\_\_

नियुक्त बीमांकक का नाम तथा हस्ताक्षर  
\_\_\_\_\_

नोट:

1. मद सं. 01 में बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (परिसंपत्तियाँ, देयताएं तथा बीमाकर्ताओं का शोधक सीमांत) विनियमन, 2016 के अनुसूची I के अंतर्गत विनिर्दिष्ट फॉर्म ईरडा-असेट्स-एए में उल्लेखित परिसंपत्तियों का समायोजित मान का रकम होगा।
2. मद सं. 02 में फॉर्म - एच में उल्लेखित गणितीय संचिति की रकम होगी।
3. मद सं. 03 तथा 06 में तुलन पत्र में उल्लेखित अन्य देयताएं की रकम होगी।
4. मद सं. 05 में बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (परिसंपत्तियाँ, देयताएं तथा बीमाकर्ताओं का शोधक सीमांत) विनियमन, 2016 के अनुसूची I के अंतर्गत विनिर्दिष्ट फॉर्म ईरडा-असेट्स-एए में उल्लेखित कुल परिसंपत्तियों की रकम होगी।